IV 9/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 596672

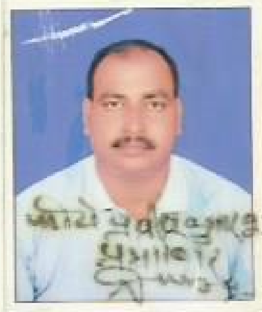

न्यास–पत्र

हम कि प्रवीण कुमार शाही पुत्र श्री विजय प्रताप शाही निवासी ग्राम–शिवधरियाँ, पोस्ट–भलुअनी, परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील–बरहज, जनपद–देवरिया का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाँति, छूआछूत, धर्म और सम्प्रदाय,

PKShahi

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 016344

ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास / ट्रस्ट की स्थापना की जा रहीं है । हम मुकिर द्वारा अपने हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत् **10,000=00 (दस हजार रुपये)** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे । हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत् एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे है, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी :–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **''कमला देवी न्यास सेवा संस्थान''** होगा जिसे इस न्यास–पत्र में आगे 'न्यास' अथवा 'ट्रस्ट' शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय **ग्राम–शिवघरियाँ, पोस्ट–गलुअनी, परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील–बरहज, जनपद–देवरिया** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के

Pcshahi

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 016345

बावत् इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उसके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली सस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा ।

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे । हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते है । इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या–03 से कम तथा 07 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित व्यक्तियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल / ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

Pcshahi

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 445394

1. श्री आनन्द प्रताप शाही पुत्र श्री विजय प्रताप शाही, निवासी ग्राम–शिवधरियाँ, पोस्ट–भलुअनी, परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील–बरहज, जनपद–देवरिया।
2. श्रीमती मन्दालशा शाही पत्नी श्री प्रवीण कुमार शाही निवासिनी ग्राम–शिवधरियाँ, पोस्ट–भलुअनी, परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील–बरहज, जनपद–देवरिया।
3. श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह, निवासिनी ग्राम–जदवापुर, पो0–पिपराइच, तहसील–गोरखपुर सदर, जनपद–गोरखपुर।
4. श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री प्रहलाद सिंह निवासिनी ग्राम–जदवापुर, पो0–पिपराइच, तहसील–गोरखपुर सदर, जनपद–गोरखपुर।

4. यहकि हम मुकिर द्वारा ''<u>कमला देवी न्यास सेवा संस्थान</u>'' के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रहीं है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1– समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

2– शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।

3– नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वागींण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

4– वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बंधित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5– समाज के सामुदायिक विकास, परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र–भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6– लिंग–भेद, जाति–पॉति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

7– शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/निधि शिक्षा/शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों को स्थापित करना।

8– समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–वेयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

9– शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

10– संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

Acshali

11– अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्व–रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

12– युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडिया एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ड, संगीत एवं इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उसके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

13– खाद्य प्रसंस्करण जैसे–जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

14– युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

15– समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। जैसे–गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों, निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

16– वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वावास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

17– महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

18– सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा–प्रशिक्षण केन्द्र,

kcshahi

आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हॉल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थाना एवं प्रबन्ध करना।

19– सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों को वैज्ञानिक विधि से विकसित करना।

20– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बंधित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

21– राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

22– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना–बेचना, उन्हें किरायेया लीज पर लेन–देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।

23– विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके, जैसे–यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

24– घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बंधित बीमारियों की जानकारी, रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।

25– बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गॉजा–भॉग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोंगो को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

Asuali

26– समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे–अन्ध विश्वास, वाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति–पॉत एवं छुआ–छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

27– महिलाओं से सम्बंधित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद–फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

28– सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना। विभिन्न त्यौहारों जैसे–होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे–शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

29– विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योगा, जिम्नास्टिक, जूडो–करोटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

30– विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना जिसमें जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड–पाइप की व्यवस्था करना।

31– परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण, दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

32– एड्स, कैन्सर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

Ashali

33– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी–झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

34– सरकारी कार्यक्रमों जैसे–डूडा एवं सूडा को संचालित करना।

35– सरकार की सहायता से गॉवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

36– कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बंधित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना। तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

37– वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

38– बंजर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

39– जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षत करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

40– प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गॉवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहॅचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूक तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिए

Iqshah

लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

41– लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ–साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

42– तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना में जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था करना।

43– उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

44– पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

45– गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

46– किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

47– सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य, कैरोट, कठपुतली सामग्री, डाक्यूमेन्ट्री एवं नुक्कड़ नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

48– किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना, उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

Leshali

49– सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित हैं।

50– विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

51– संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

52– सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

53– किसी भी जाति, समुदाय, धर्म अथवा सम्प्रदाय की चल–अचल सम्पत्ति बिना भेद–भाव किये मुख्य ट्रस्टी को खरीदने और बचने का अधिकार होगा।

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सकरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

3– ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उसकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।

4– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि एकत्र करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयॉ गठित करना।

5– ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

Icshah

6– ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के बावत् गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना, उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11– ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इंस्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. **ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :–**

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन।

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा–

1– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य

Jeshia

ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2– मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

3– ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने मे से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देखरेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अंतिम होगा।

4– ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5– ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयायेग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6– ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होग, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

Pcshah

7– ट्रस्ट के कार्यो के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित विलों व वाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन।

1– ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2– वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का वजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निणय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**

1– इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।

2– ट्रस्ट से सम्बंधित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

3– ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

4– ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।

5– ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।

6– ट्रस्ट की ओर ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बंधित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

Rcshah.

7– ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8– इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबंधक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।

9– ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

10– ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

11– ट्रस्ट के वित्त सम्बंधी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :–

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियॉ एवं ऋण राशियॉ निहित होगीं। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा। ट्रस्ट में दिये गये दान, चंदा इत्यादि आयकर सीमा में 80जी. और 12ए. के तहत धनराशि में छूट माना जायेगा।

9. ट्रस्ट के अभिलेख :–

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था।

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी :–

1– यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंक से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय को बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।

Pcshahi

2— यह कि मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सपत्तियो के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे । ट्रस्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा । इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा ।

3— ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह भी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति मे सहायक हो ।

4— ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत् भी यह शर्ते लागू होगी ।

5— वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास 10000 रू0 (दस हजार रूपये) के अतिरिक्त अन्य कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है । तथा ट्रस्ट का आफिस ट्रस्ट का भाग नहीं है ।

घोषणा

'कमला देवी न्यास सेवा संस्थान' की तरफ से हम प्रवीण कुमार शाही मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपर्युक्त न्यास–पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास–पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके ।

प्रवीण कुमार शाही

हस्ताक्षर साक्षीगण:

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

Pcshahi

(1) तेज प्रताप शाही S/o श्री लक्ष्मी प्रसाद
ग्राम - बैरौना, पो० - बैरौना, देवरिया

(2) संदीप कुमार मिश्र S/o स्व० हरिनरायन मिश्र ग्राम सिधरिया पोस्ट भलुअनी जिला देवरिया (उ०प्र०)

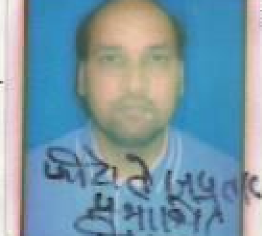

जमूनकर्ता–

नागेन्द्र कुमार मिश्र (एडवोकेट) बरहज देवरिया

भारत सरकार

Government of India

संदीप मिश्र

SANDEEP MISHAR

जन्म तिथि / DOB : 11/09/1981

पुरुष / Male

3098 2684 0350

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: हरिनारायण, -, -, भलुअनी, सिधारिया, भलुअनी, देवरिया, उत्तर प्रदेश, 274182

Address:
S/O: Hrinarayan, -, -, BHALUANI, Sidharia, Bhaluani, Deoria, Uttar Pradesh, 274182

3098 2684 0350

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

DUPLICATE

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

FLZ2329217

निर्वाचक का नाम : तेज प्रताप
Elector's Name : Tej Pratap
पिता का नाम : लक्ष्मी प्रसाद
Father's Name : Lakshmi Prasad
लिंग/ Sex : पुरुष / Male
जन्म की तारीख
Date Of Birth : XX/XX/1979

FLZ2329217

पता : 52, बैरौनाखण्ड 1 , बैरौना

तहसील देवरिया
जिला देवरिया (उ.प्र.) 274001

Address : 52, Baironakhand -1 , Bairauna

Tehsil Deoria
Distt. Deoria (UP)-274001

Date : 10/11/2011

342-बरहज निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer for 342-Barhaj

24/176

पता बदलने पर/नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number

भारत सरकार

Government of India

प्रवीण कुमार शाही

Praveen Kumar Shahi

पिता : विजय प्रताप शाही

Father : Vijay Pratap Shahi

जन्म तिथि / DOB : 03/07/1979

पुरुष / Male

2852 0586 8921

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: विजय प्रताप शाही, -, -,
शिवधरिया, सिधारिया, भलुअनी,
देवरिया, उत्तर प्रदेश, 274182

Address:
S/O: Vijay Pratap Shahi, -, -,
SHIVDHARIYA, Sidharia,
Bhaluani, Deoria, Uttar Pradesh,
274182

2852 0586 8921

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

Pcshahi